UPSP010070182026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या 01 सहारनपुर।
ज़मानत प्रार्थना पत्र संख्याः- 2975/2026
उपस्थित:- अभय कृष्ण तिवारी (एच.जे.एस.)

हर्ष उर्फ छंगा पुत्र सुशील निवासी ग्राम सढौली थाना नकुड़ जिला सहारनपुर।

……..प्रार्थी।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य। ....विपक्षी।

मु0 अ 0 सं0 469/2025
अन्तर्गत धारा 109(1), 352, 351(3) बी०एन०एस०
व 3/25/27 आयुध अधिनियम,
थाना नकुड़, जिला सहारनपुर।

13.07.2026

आवेदक/अभियुक्त हर्ष उर्फ छंगा की ओर से मु0 अ 0 सं0 469/2025, धारा 109(1), 352, 351(3) बी०एन०एस० व 3/25/27 आयुध अधिनियम थाना नकुड़ जिला सहारनपुर के मामले में स्वयं को ज़मानत पर रिहा किये जाने हेतु यह प्रथम ज़मानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र के समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक के अनुसार वादी मुकदमा द्वारा तहरीर इस आशय की दी गयी कि दिनांक 25.10.2025 को रात्रि समय लगभग 8.30 बजे मेरे पड़ोस में रहने वाले आपराधिक किस्म के व्यक्ति हर्ष उर्फ छंगा पुत्र सुशील उम्र लगभग 23 वर्ष निवासी ग्राम साढोली द्वारा मेरे घर के बाहर खड़े होकर गाली-गलौच करते हुए अवैध तमन्चे से मुझे व मेरी बहन सरिता, भाई हिमांशु को जान से मारने की नियत से फायरिंग की ओर धमकी दी कि तुम लोग पुलिस को मुखबरी करोगे तो तुम्हारे पुरे परिवार को जान से मार दूंगा शोर सराबा होने पर वह जान से मारने की धमकी देकर भाग गया। अतः हर्ष उर्फ छंगा के विरुद्ध कानुनी कार्यवाही करने की कृपा करें। उक्त तहरीर के आधार पर अभियुक्त हर्ष उर्फ छंगा के विरूद्ध मु०अ०सं० 469/2025, थाना हाजा पर पंजीकृत किया गया।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से ज़मानत प्रार्थना पत्र में संक्षेप में यह कथन किया गया है कि प्रार्थी को उक्त केस मे गांव की पार्टी-बाजी की बिनाह पर झूठा मुलजिम बनाया गया है, प्रार्थी ने कोई अपराध नहीं किया है। प्रार्थी एक अन्य वाद में क्राईम नं0 463/2021 धारा 25 आयुध अधिनियम मे जेल मे निरूद्ध था, उक्त केस मे जेल से तलब कर मुलजिम बनाया गया है। उक्त वाद से सम्बन्धित कोई भी बरामदगी प्रार्थी से नही है तथा जो बरामदगी दर्शायी गयी है वह फर्जी एंव झूठी है। तथाकथित घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी भी नही है। जो साक्षीगण दर्शाये गये है वह एक ही परिवार के है एवं वादी पक्ष के है एवं हितबद्ध साक्षी है और पुलिस से मिलने जुलने वाले व्यक्ति है नो इन्जरी केस है। प्रार्थी पूर्व के केसो में जमानत पर है जो न्यायालय में विचाराधीन है। प्रार्थी उक्त वाद में करीब 8 माह से जेल में है। पत्रावली पूर्व में ही सैशन सुपुर्द हो चुकी है जो न्यायालय ए०डी०जे० प्रथम सहारनपुर में विचाराधीन है। अभियुक्त द्वारा ज़मानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

न्यायालय द्वारा प्रस्तुत मामले में उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा थाना की आख्या, अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया गया।

प्रस्तुत प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध वादी मुकदमा व उसकी बहन सरिता व भाई हिमांशु को जान से मारने की नियत से अवैध तमंचे से फायरिंग करने, गाली-गलौच करने व जान से मारने की धमकी देने व अभियुक्त की निशानदेही से एक अदद तमंचा बरामद होने का आरोप है। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि दिनांक 26.11.2025 को उपनिरीक्षक विरेन्द्र कुमार मय हमराही कर्मचारीगण द्वारा अभियुक्त की निशानदेही पर कस्बा नकुड़ से फन्दपुरी रोड पर हनुमान मन्दिर से करीब 400 मी० सड़क के दाहिनी तरफ जाने वाले रास्ते पर ईख के खेत के अन्दर एक काले रंग की पन्नी को ईख के मेढ के बीच से निकाल कर समय करीब 11.55 बजे बरामद कराया जाना तथा इसी तमंचे से वादिया के घर के बाहर फायरिंग किया जाना अभिकथित है। कथित बरामदगी का कोई स्वतंत्र जनसाक्षी नहीं है तथा कथित फायंरिग से अभियोजन पक्ष को किसी प्रकार की आग्नेयास्त्र की चोट आना दर्शित नहीं है। प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त दिनांक 26.11.2025 से कारागार में निरूद्ध है। प्रकरण में विवेचना सम्पादित होने के उपरान्त आरोप-पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है। अतः हस्तगत प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए तथा मामले के गुणदोष पर कोई मत व्यक्त किये बिना, आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाने का आधार पर्याप्त है। तदानुसार, आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त हर्ष उर्फ छंगा की ओर से प्रस्तुत ज़मानत प्रार्थना पत्र संख्या 2975/2026 स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा अंकन 50,000/- (पचास हजार रूपये) का व्यक्तिगत बन्ध-पत्र तथा समान धनराशि का एक प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि के दाखिल करने पर उसे ज़मानत पर रिहा किया जाये।

दिनांकः- 13.07.2026

(**अभय कृष्ण तिवारी**)
अपर सत्र न्यायाधीश
कक्ष संख्या 01, सहारनपुर।
आई.डी. यू.पी. 6199

दाऊद
स्टेनोग्राफर

Digitally signed by ABHAY KRISHNA TIWARI
Date: 2026.07.13 17:35:09 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court